

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

अर्जिनल नाम ^{की} मैवारा मूण्ड

मुकदमा नम्बर :- 05/2024

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 151

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------	---------------------------	----------------------	-------------

20/4/25 व.क.उप.7 व.क. अन्तर्गत धारा 151 के अन्तर्गत
 दिनांक 20/4/25 को फैसला किया गया।

30/4/25 व.क.उप.1 व.क. प्रा.पत्र 151 पर
 सुनी गयी। डोराने-व.क. प्रा.पत्र
 अन्तर्गत प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को अंशिक
 व अप्राथमिक प्रमाणों ने प्रभाव प्रा.पत्र
 में वर्णित तथ्यों को अंशिक। प्रा.पत्र
 पर-उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन
 किया गया। व.क. पर मतलब किया गया।
 प्राथमिक डोराने प्रा.पत्र 151 पर के साथ
 अथवा मूल डोराने के साथ मूल स्थिति के
 संबंध में और उल्लेखित प्रमाणों को
 प्रा.पत्र में पेश नहीं किया अथवा अन्य
 हेतु और उल्लेखित आदेशों को
 लागू पेश किया कि अप्राथमिक डोराने
 स्वयं आदेश जारी होने के पश्चात
 पाठ्यक्रम इति-इति पर और निर्णय
 कार्य किया गया है। तथा प्रा.पत्र के
 प्राथमिक डोराने निर्णय कार्य अप्राथमिक डोराने
 किया जाने वाला दिनांक, मूल, जाल, साक्षा-
 त्क प्रमाण नहीं किया गया। साथ ही प्राथमिक
 डोराने जो डोराने को अंतर्गत प्रा.पत्र में
 प्रस्तुत है उसे उचित प्रमाणों के
 निर्णय के लिए वर्णित किया है। अतः अन्त
 अप्राथमिक डोराने स्वयं आदेश के डोराने
 निर्णय कार्य किया जाने के संबंध में प्राथमिक
 डोराने को पाठ्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया है। अतः
 में प्राथमिक डोराने प्रा.पत्र 151 पर को प्रा.पत्र
 नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रा.पत्र
 उक्त प्रा.पत्र के अन्तर्गत तथा अन्तर्गत
 प्रस्तुत है।

सहायक कलक्टर
 चौमूं (जयपुर)